

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2319] No. 23191

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2011/अग्रहायण 22, 1933

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2011/AGRAHAYANA 22, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2011

का.आ. 2775(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त प्राधिकरण का सदस्य नामित किया है :--

- 1. प्रो. हर्ष गुप्ता
- 2. श्री बी. भट्टाचार्जी
- 3. श्री के. एम. सिंह, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त)

[फा. सं. 44-12/2010-एन.डी.एम.-]]

आर. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2011

S.O. 2775(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 3 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Chairperson of the National Disaster Management Authority has nominated the following persons as members of the said Authority, namely:-

- 1. Prof. Harsh Gupta
- 2. Shri B. Bhattacharjee
- 3. Shri K. M. Singh, IPS (Retd.)

[F. No. 44-12/2010-NDM-II]

R. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.